

ORDER-SHEET
***The Electricity Ombudsman, MPERC, 5th Floor, Metro Plaza,
Bhopal***

Case No. L00-23/2017

<i>Date of order of proceeding</i>	<i>Order of proceeding with Signature of presiding officer</i> मेसर्स भारती इन्फ्राटेल लि., माचल, इंदौर	<i>Signature of parties or pleaders where necessary</i>
18.08.17	<p>दिनांक 18.08.2017 को सुनवाई में आवेदक अनुपस्थित रहा तथा उनकी ओर से सुनवाई में कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। अनावेदक की ओर से श्री प्रकाश कोडिन्या, जूनियर इंजीनियर, माचल, इंदौर उपस्थित हुए।</p> <p>2 आवेदक द्वारा अवधि समाप्त होने के पश्चात अपील प्रस्तुत की गई। इस संबंध में आवेदक को प्रकरण की सुनवाई हेतु नियत की तिथि दिनांक 3.8.2017 को उपस्थित होकर फोरम के आदेश की प्रति कब प्राप्त हुई, इसके संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पत्र जारी किया गया था। (ओई-1)</p> <p>3 दिनांक 3.8.2017 को सुनवाई के दौरान आवेदक के अधिवक्ता श्री विजेन्द्र शर्मा उपस्थित हुए। उनके द्वारा उपरोक्त निर्देश के परिपालन में कोई भी तर्क तथा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये। आवेदक के प्रतिनिधि से यह पूछा गया कि अपील कालवाधित होने के कारण क्यों न निरस्त कर दी जाए। उनके बताया गया कि उनके वरिष्ठ अधिवक्ता के पास दस्तावेज हैं जो कि किसी कारण सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सके, अतः सुनवाई के लिए अगली तिथि नियत की जाए। इस संबंध में उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वे अगली तिथि पर इसका समुचित जबाब प्रस्तुत कर देंगे। अगली तिथि सुनवाई हेतु दिनांक 18.8.2017 नियत की गई।</p> <p>4 दिनांक 18.8.2017 को सुनवाई के दौरान अनावेदक की ओर से श्री प्रकाश कोडिन्या, जूनियर इंजीनियर, उपस्थित हुए परन्तु आवेदक की ओर से न तो आवेदक उपस्थित हुए और न ही उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए।</p> <p>5 सुनवाई के दोस्रान आवेदक के लगातार अनुपस्थित रहने से यह स्पष्ट है कि वे अब अपनी अपील पर सुनवाई हेतु गंभीर नहीं हैं और न ही उनके द्वारा फोरम के आदेश प्राप्ति के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। अतः अपील कालवाधित होने एवं आवेदक के निरंतर अनुपस्थित रहने के कारण अपील निरस्त की जाती है।</p> <p>6 उभय पक्षों को उक्तानुसार सूचना भेजते हुए फोरम के अभिलेख वापिस किये जाएं।</p>	विद्युत लोकपाल

